



भारत सरकार
Government of India
केन्द्रीय जल आयोग
Central Water Commission
निचली गंगा मंडल-2, पटना
Lower Ganga Division-2
148, आनंदपुरी, पश्चिमी बोरिंग कैनाल
रोड, पटना- 1
148, Anandpuri, west Boring
Canal Road, Patna-01



ईमेल: mgd5cwcpatna@gn

दूरभाष : 0612-2558249

दिनांक: 15/1/19

संख्या: निगम-2/मु0 -12 /2019/ 235-38

कोटेशन आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा, पंजीकृत फर्मों से निम्नांकित सामग्री/ सामग्रियों की आपूर्ति हेतु इस कार्यालय द्वारा मुहरबंद निविदा दिनांक 25/01/2019 को शाम 3.00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है।

क्र० सं०	सामान का नाम	सामान का विवरण	मात्रा
1.	Digital Depth Echo sounder with full accessories (Make Model No-Hondex HE-51C.	Specification of Digital Depth Echo sounder:- 1. Display 4.3" colour TFT. 2.No. of pixels:272 . 3. Display style:portrait only. 4. Power supply:Dry cell AAx8 or 11-14 VDC. 5.Power consumption approx 3W. 6.Length of operation approx 10 hours continuously with dry cells. 7.Power output 100w. 8.Weight approx 0.7 Kg. 9.Depth Range: 0-20 mtrs. 10.Dimensions(unit):170(H)X178(W)X63(D)mm	08

प्राप्त किये गये कोटेशन उसी दिन दिनांक- 25/01/2019 को शाम 3.30 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा उनके कक्ष में खोला जायेगा। कोटेशनकर्ता/ इनके प्रतिनिधि, यदि चाहे तो उस समय में अपने खर्च पर सम्मिलित हो सकते हैं। दिये गये दर शब्द एवं अंक दोनों में लिखे होने चाहिए। यदि लिखे गये दर की कहीं कटींग/ऑवरराइटिंग हो तो उसे कोटेशनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरयुक्त होना चाहिए। लिफाफे पर "Quotation for Supply of Digital Depth Echo sounder" के लिये कोटेशन, कोटेशन संख्या एवं कोटेशन खुलने की तिथि लिखा होना चाहिए तथा कोटेशन अधिशासी अभियंता, निचली गंगा मंडल-2, केन्द्रीय जल आयोग, 148 आनंदपुरी, पटना - 800001 के प्रति होना चाहिए।

अधोहस्ताक्षरी को किसी भी कोटेशन अथवा सम्पूर्ण कोटेशन को बिना कारण बताये रद्द करने के अधिकार होंगे।

शर्तें:-

- संपादित सामग्रियों की आपूर्ति संतोषजनक एवं त्रुटी रहित होना चाहिए।
- आपूर्ति की जानेवाली सामग्री का दर इस कार्यालय तक पहुँचाने तक का होना चाहिए।
- GST संख्या कोटेशन पर अंकित होना चाहिए।
- उद्धृत कोटेशन खुलने के एक सौ अस्सी दिनों तक मान्य होना चाहिए।
- अग्रिम भुगतान संवंधी किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- कार्य संपादित होने एवं विपत्र तीन प्रतियों में प्राप्त होने के बाद विपत्र का भुगतान e-Payment के माध्यम से खाता में किया जायेगा। विपत्र टिकट लगाया हुआ पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ होना चाहिए।
- आपूर्ति आदेश जारी होने के 10 दिनों के अन्दर सामाग्री का आपूर्ति करना होगा।
- आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा बाद में घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

प्रतिलिपि:

- लेखाशाखा, निचली गंगा मंडल-2, केन्द्रीय जल आयोग, पटना।
- नोटिस बोर्ड निचली गंगा मंडल-2, केन्द्रीय जल आयोग, पटना/मुख्य अभियन्ता कार्यालय/प्रबंधन निदेशालय, पटना।
- For uploading on CWC Website.

(नरेन्द्र नाथ शंकर)
15/1/19
अधिशासी अभियन्ता